

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)

31 कड़की विधान सभा जोत

(निर्वाचन क्षेत्र से)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

31 कड़की विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटनिंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं जनीषा पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री उमीप
..... आयु 38 .. वर्ष, जो मृत्ति 3.99.19 भौतिक लाइसेंस नं
का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। ✗ लागू नहीं

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं ✗ लागू नहीं

(ii) पुलिस थाना (थाने) ✗ जिला (जिले) ✗ राज्य ✗

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का सक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है..... लागू नहीं

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई..... लागू नहीं

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गये थे..... लागू नहीं

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं..... ✗

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहस्ता नहीं है/नहीं

✓ Manisha

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया जाता है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :- X लागू नहीं

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं..... X "लागू नहीं"

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है..... X "लागू नहीं"

(iii) पुलिस थाना (थाने)..... X "लागू नहीं" जिला (जिले) X राज्य..... X

(IV) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है X "लागू नहीं"

(V) तारीख (तारीखें), जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे..... X "लागू नहीं"

(VI) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं..... X

स्थान कड़ी

तारीख 11-1-2012

IDENTIFIED BY

2. d By

Manisha

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

पड़वोकेट

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूं कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वरतु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

..... कड़ी स्थान पर आज तारीख 11-1-2012 को सत्यापित किया।

Manisha
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी - इस प्रलिपि के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, कार्यादिये जायें। 2368/2012
सिवायी प्राप्तवाया संख्या

SR No. 83
TIME 2:15 A.M., P.M.

VERIFIED & ATTESTED

S/

(S. K. MAHESHWARI)

Advocate & Notary Public

Regd. No. 42 (S) 2003, Ch. No. 142

Maheshwari Legal Services, U.K.

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
₹.10

भारत

TEN
RUPEES
Rs.10

satyameva jayate

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड - UTTARAKHAND
कोषधारकार्यालय (केंद्रीय)
कोइराला - १००

12AA 919340

19 DEC 2011

जिला नोटरी (उत्तराखण्ड)
2010 - 2011



Manisha